Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding appointments for teaching posts in Central Universities.

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं सरकार का ध्यान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हो रही नियुक्तियों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के साक्षात्कार के दौरान आरक्षण नीति की अवहेलना के संबंध में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विमत-टिप्पण और केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर भर्ती तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान चयन समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाए गए (एनएफएस) अभ्यार्थियों का श्रेणीवार ब्यौरा नहीं रखता है।

मेरे पत्र दिनांक 13 मार्च, 2018 के उत्तर में विश्विद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में चयन समिति द्वारा अभ्यार्थियों के 'उपयुक्त न पाए जाने' का मूल्यांकन नीति की अवहेलना के संबंध में विश्वद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा विमत-टिप्पण और शैक्षणिक पदों पर भर्ती और विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान चयन समिति द्वारा 'उपयुक्त नही पाए गए' (एनएफएस) अभ्यार्थियों का श्रेणीवार ब्यौरा अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।

मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि यूजीसी के अंतर्गत आने वाले देश के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों में शैक्षिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर प्रणाली का अनुपालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 8 मई, 2018 को स्वीकार किया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के संबंध में रोस्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए डीओपीटी के नियमानुसार रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है।

मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों के संबंध में रोस्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए डीओपीटी के नियमानुसार रोस्टर प्रणाली का अनुपालन किया जाता है तो फिर विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालय में किस नियम के तहत नई नियुक्तियां की जा रही है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है? माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के फैसले के परीक्षण और सिफारिश हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक अंतर मंत्रालयीय कमेटी गठित की गई थी जिसकी सिफारिश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. फाइल किया है। जिसमें विश्वविद्यालय को इकाई मानने का अनुरोध किया गया है। संसद की अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष बतौर मैंने भी अनुशंसा की थी कि विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर तैयार करके नियुक्तियां की जायें।

मेरा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह है कि जब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के संबंध में आरक्षण रोस्टर का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब तक कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाए और आरक्षण रोस्टर से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन समय के दौरान की गई नियुक्तियां तुरन्त निरस्त की जाएं और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए ताकि पिछड़ों और वंचितों को सुनिश्चित न्याय दिलाया जा सके।